फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :—**उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर**

केस सं. /202.......

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	25.04.25 रामकरण यादव [signature]	अधिवक्ता प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली तलब फरमाने एवं विड्रॉ किये जाने पेश करने पर पत्रावली तलब कर आज की पेशी में ली गयी। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी अपने वाद को आगे चलाना नहीं चाहता है। अत: वाद विड्रॉ करने की अनुमति प्रदान करने का श्रम करें। पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद विड्रॉ करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादी का वाद विड्रॉ प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर